रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 625] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 27, 1984/पौष 6, 1906
No. 625] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 27, 1984/PAUSA 6, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

न्यायमूर्ति ठक्कर आयोग

(पूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या की जांच करने के लिए जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन आयोग)

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1984

आयोग द्वारा दिसम्बर 15, 1984 को बनाया गया अतिरिक्त विनियम

का. आ. 959(अ).—यत. इस आयोग ने अपने द्वारा अपनाई जाने वाली कार्य विधि के संबंध मे जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 8 के अधीन, दिसम्बर 5, 1984 को विनियम बनाये है; और

यत: विनियम स 2 में अतिरिक्त विनियम बनाये जाने के लिए उपबंध है: और

यत. आयोग मौजूदा विनियम 6 और 7 के बीच अन्त:-स्थापित किया जाने वाला अविनियम 6क बनाते हुए मौजूदा विनियमो मे परिवर्धन करना आवश्यक समझता है, आयोग निम्नलिखित अतिरिक्त विनियम बनाता है —

"6क—आयोग संबंधित पक्षो को दो घण्टे के मौखिक तर्क का लिखित तर्क द्वारा पूरा करने की अनुमति देगा।"

यथा संशोधित विनियम अब अनुलग्नक के अनुसार पढ़े जायेंगे।

यह निदेश दिया जाता है कि यथा संशोधित विनियम भारत के राजपत्र में शीघ्र प्रकाशित किये जायेंगे।

जांच आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली कार्य-विधि का विनियमन

यह आयोग अपने द्वारा अपनाई जाने वाली कार्य-विधि के संबंध मे एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है :

1. ये विनियम जांच-आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 8 के प्राधिकार के अधीन बनाए जा रहे हैं।
2. समय-समय पर अतिरिक्त विनियम बनाए जा सकते है और जैसा आवश्यक समझा गया, समय-समय पर

पर मौजूदा विनियमों को हटाया आशोधित किया अथवा बदला जा सकता है।

3 आयोग का मुख्यालय विज्ञान भवन एनेक्सा (दूसरे फलोर के कमरा न 320 से 332) मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली होगा।

4. आयोग का कार्यालय, केन्द्रीय सरकार द्वारा मनायी जा रही छुट्टियो मे इतर अन्य सभी दिनो मे, प्रात 10 00 बजे से दोपहर बाद 1 30 बजे तक और दोपहर बाद 2 00 बजे से साय 5 00 बजे तक कार्य करेगा।

5 आयोग किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को पत्र लिखकर किसी भी विषय के बारे मे सूचना माग सकता है। ऐसे पत्र मे उन मुद्दो को निर्दिष्ट किया जा सकता है जिनके बारे मे सूचना मागी गई है और उसमे ऐसे प्रश्न भी हो सकते है, जिनका उत्तर देना अपेक्षित हो यदि आयोग आवश्यक और समुचीन समझे तो आयोग ऐसे व्यक्तियो से सूचना या उसके जवाब मे दिए गए उत्तरो के समर्थन मे, शपथपत्र भेजने को इच्छा भी प्रकट कर सकता है।

6. जब साक्ष्य रिकार्ड किया जाए तो, आयोग, साक्ष्य रिकार्ड किए जाने का काम पूरा हो जाने के बाद तर्क करने का अवसर देगा, परन्तु प्रत्येक पक्षकार के लिए तर्क करने की अवधि का दो घंटे तक सीमित रखेगा, विपरीत दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील को पार्टियो की संख्या तथा पेश हुए वकीलो की संख्या के आधार पर तर्क का जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

6क. आयोग संबंधित पक्षों को दो घंटे की मौखिक तर्क को लिखित तर्क द्वारा पूरा करने की अनुमति देना।

7. आयोग यह निदेश दे सकता है कि जाच के समय दर्ज किए गए साक्ष्य और अथवा सुनवाई के समय की गई मौखिक तर्क को टेप रिकार्डर टेप किया जाए, यदि ऐसा करना आवश्यक अथवा समुचीन समझा

8. जांच की विषय-वस्तु के गंभीर स्वरूप को देखते हुए, आयोग की कार्यवाही गुप्त रूप से होगी जब तक कि आयोग अन्यथा निदेश न दे।

9. ये विनियम अभी से लागू होंगे।

[सं 23/4/84-टी.सी.आई.]

दिसम्बर 15, 1984 एम. पी ठक्कर आयोग

न्यायमूर्ति एम० पी० ठक्कर, अध्यक्ष
ठक्कर जांच आयोग

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

JUSTICE THAKKAR COMMISSION

(Commission to inquire into the Assassination of Late Prime Minister Shrimati Indira Gandhi under The Commissions of Inquiry Act, 1952)

New Delhi, the 15th December, 1984

ADDITIONAL REGULATION FRAMED BY THE COMMISSION ON DECEMBER, 15, 1984

S.O. 959(E) —Whereas the Commission has framed regulations under Section 8 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 in regard to the procedure to be followed by the Commission, on December 5, 1984; and

Whereas Regulation No 2 provides for framing of additional regulations, and

Whereas the Commission considers it necessary to add to the existing regulations following Regulation No. 6A to be interposed between existing Regulations 6 and 7, the Commission frames the additional regulation as under :—

"6A—The Commission will permit parties concerned to supplement the two-hour oral arguments by written arguments"

The Regulations as amended will now read as per the Annexure

It is directed that the Regulations as amended shall be published in the Government Gazette at an early date.

REGULATIONS OF PROCEDURE TO BE FOLLOWED BY THE COMMISSION OF INQUIRY

The Commission hereby frames the following regulations in regard to the procedure to be followed by the Commission :—

1. The regulations are being framed under the authority of Section 8 of the Commissions of Inquiry Act, 1952.

2. Additional regulations may be framed from time to time and the existing regulations may be deleted, modified or varied from time to time as may be deemed expedient.

3. The Headquarters of the Commission shall be Annexe to Vigyan Bhavan (Room Nos. 320 to 332 in Second Floor), Maulana Azad Road, New Delhi.

4. The Office of the Commission shall function from 10 00 A M. to 1.30 P.M and 2.00 P.M. to 5.00 P.M. on all days other than holidays observed by the Central Government.

5. The Commission may call for information on any subject by addressing communication to any person or authority. Such communication may specify the points on which information is sought and may embody interrogatories which may be required to be answered. The Commission may also desire such persons to send affidavits in support of the information or answers given in response there to if the Commission considers it necessary or expedient.

6. When evidence is recorded, the Commission, after the completion of the recording of evidence would afford an opportunity of addressing arguments but will restrict the duration of arguments to two hours for each counsel. In case there are more parties and more than one counsel address their arguments for two hours each, the counsel representing the opposing point of view will be afforded extra time to deal with the arguments depending on the number of parties and number of advocates appearing.

6A. The Commission will permit parties concerned to supplement the two-hour oral arguments by written arguments.

7. The Commission may direct that the evidence recorded at the inquiry and/or oral arguments urged at the hearing may be taped in a tape-recorder if it is considered so necessary or expedient.

8. In view of the sensitive nature of the subject-matter of the inquiry, the proceedings will be in camera unless the Commission directs otherwise.

9. These regulations will come into force forthwith

[No. 28/4/84-TCI]

M. P. THAKKAR COMMISSION.
JUSTICE M. P. THAKKAR, Chairman,
Thakka Commission of Inquiry.

December, 15, 1984.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984